



Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 5489-व-5-2023/7507
चण्डीगढ़ दिनांक 17.11.2023

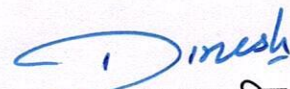
विषय:

Diversion of 0.474 ha. of Forest land for 132 KV DC Jagadhri TSS to Tapri TSS Transmission Line, under Forest Division & Distt. Yamunanagar, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Trans/155970/2022).

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकूला की सिफारिश के दृष्टिगत **DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED** के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.474 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 84 वृक्ष (वाल्यूम 65.89 m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 214 पौधे भी नष्ट होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति में पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता ऐजेंन्सी से कैम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी:-

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	249379
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	127065
3.	Barbed Wire Fencing Charges	49876
4.	फैलिंग चार्जिज	92246
5.	नैट प्रजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	453988
	कुल	972554

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से C-79, Trilokpur Beat, Trilokpur Block, Raipur Rani Range पर 1268 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरांत सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


अवर सचिव
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग। +

Full Title of the Project : Diversion of 0.474 ha of forest land for 132 KV DC Jagadhri TSS to Tapri TSS transmission Line, Under Forest Division and District Yamunanagar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Trans/155970/2022

PART-V

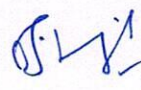
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 17-11-23

Place : Chandigarh

Signature


17/11/23

Name: **Dr. T.P Singh,**

Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department,
Forest Department

Office Seal: